निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रार्थना पत्र संख्या
29/2018

फैसल दिनांक
20.06.2022

अनवान

गोपीलाल पिता प्यारा जाति माली उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
---प्रार्थी

।। बनाम ।।

भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
---विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित - श्री जाहिद रजा वकील प्रार्थी

प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश प्रस्तुत किया:-

प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि वाके मौजा बानसेन प0ह0 बानसेन तहसील भदेसर की आराजीयात जिसके साबिक खाता संख्या 94 में अंकित साबिक आ0नं0 270/1च रकबा 4 बीघा, साबिक आ0नं0 270/1घ रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, साबिक आ0नं0 270/1ख रकबा 2 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके बाद सेटलमेंट नये खाता संख्या 96 पर दर्ज आरजी नम्बर 410 रकबा 0.54 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 411 रकबा 0.43 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर भूमि स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2065 से 2068, नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074, मिलानशीट एवं नक्शा ट्रेस साबिक एवं नवीन संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

यह कि प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंट होने से भू प्रबंध अधिकारियो ने प्रार्थी के रकबे में कमी करते हुए 0.97 ही रख दिया जबकि शेष रकबे को राजस्व रेकार्ड में हाल आ0नं0 412 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आ0नं0 422 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आ0नं0 421 रकबा 0.01 हैक्टेयर में मिलाते हुए बिलानाम अंकित कर दिया जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं था।

यह कि भू प्रबंध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को प्रार्थी की आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं था। भू प्रबंध अधिकारियो ने प्रार्थी के हक व हिस्से को मन मुताबिक रकबे में कमी कर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कर दिया है, यह सब संबंधित कर्मचारियो ने उक्त भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से वाली भूमि के रकबे में हेरफेर करते हुए गंभीर त्रुटि कारित की है इसलिये राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार कमी रकबे को हाल आ0नं0 412, 422 एवं 421 में से कम हुए रकबे को अपने नाम दर्ज करा दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर हाल आ0नं0 412, 422 एवं 421 में से कम हुए रकबे को प्रार्थी के नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत मंगाये जाने कमीश्नरी रिपोर्ट का प्रस्तु किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भदेसर को 1000 रू अक्षरे एक हजार रूपये पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

न्यायालय के आदेश की अनुपालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/243 दिनांक 25.02.2022 से कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

प्रार्थी गोपीलाल पिता प्यारा माली के साथ पटवारी बानसेन, भू अभि0 निरीक्षक बानसेन द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का का मौका देखा गया। मौके पर प्रार्थी का आ0नं0 410, 411, 412, 421 एंव 422 पर कब्जा होकर काश्त की जा रही है। साबिक रेकार्ड अनुसार प्रार्थी के खातेदारी में 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। अतः आ0नं0 आ0नं0 412 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आ0नं0 421 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ0नं0 422 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में सेटलमेंट से पूर्व 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी परंतु बाद सेटलमेंट प्रार्थी के खातेदारी में रकबे की कमी करते हुए केवल 0.97 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज रेकार्ड की गई एवं शेष रकबे को बिलानाम दर्ज कर दिया। अतः प्रार्थी रकबे में की गई कमी को पुनः प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना के समर्थन में प्रार्थी ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है :-

1. नकल जमाबंदी साबिक मौजा बानसेन संवत् 2065-2068
2. नकल जमाबंदी मौजा बानसेन संवत् 2071-2074
3. मिलान क्षैत्रफल

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि मौजा बानसेन प0ह0 बानसेन के साबिक खाता संख्या 94 में अंकित साबिक आ0नं0 270/1च रकबा 4 बीघा,

उपखण्ड अधिकारी भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

साबिक आ0नं0 270/1घ रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, साबिक आ0नं0 270/1ख रकबा 2 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके बाद सेटलमेंट नये खाता संख्या 96 पर दर्ज आरजी नम्बर 410 रकबा 0.54 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 411 रकबा 0.43 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर दर्ज करते हुए प्रार्थी के रकबे को कम कर दिया है। प्रार्थी के खातेदारी से कम हुए रकबे की क्षतिपूर्ति निकट की आ0नं0 आ0नं0 412 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आ0नं0 421 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ0नं0 422 रकबा 0.35 हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर से की जाकर प्रार्थी गोपीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला - चित्तौड़गढ़

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,